

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 1 मैनपुरी।

थाना -कोतवाली, जिला - मैनपुरी।

दिनांक- 09.05.2026

आदेश

आज यह पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्त रफीक पुत्र उमर अब्दुल्ला उपस्थित आया। अभियुक्त की ओर से अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त रफीक पुत्र उमर अब्दुल्ला को स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोप -पत्र अन्तर्गत धारा- 34 पुलिस एक्ट में मुवलिग- 10/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे उक्त अपराध में तीन दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार की जावे।

दिनांक- 09-05-2026

(सुश्री फ़ौज़िया जहां)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या- 1, मैनपुरी।

(आई.डी. नं. - UP04675)